न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 44/2022 **G.C.M.S. No.** 2022/121 दर्ज दिनांक : 09.05.2022

अपीलार्थिगण:

मृतक मावा वल्द भगवाना के का.मु.–

1. जयन्ति वल्द मावाजी
2. बाबू वल्द मावाजी
3. नरसी वल्द मावाजी
4. मणी वल्द मावाजी

जातियान मेघवाल, निवासी दईपुर, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

मृतक रामा के वल्द भगवानाजी के का.मु.–

1. छोगाराम वल्द रामाजी
2. मफाराम वल्द रामाजी

जातियान मेघवाल, निवासी दईपुर, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2015 बअनवान छोगाराम बनाम मावा में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2022

उपस्थित–

1. श्री चुन्नीलाल पुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराड़ा विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 28.01.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2015 बअनवान छोगाराम बनाम मावा में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि सरहद मौजा दईपुर तहसील रानीवाड़ा के पुराने आराजी खसरा संख्या 75 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा, किस्म चाही अव्वल, खसरा संख्या 75/1 रकबा 2 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन बेरा आई हुई हैं, जिसकी खातेदारी में 1/2 हिस्सा, अपीलांट के पिता मावा वल्द भगवाना कौम भाम्बी साकिन दईपुर व 1/2 हिस्से में रेस्पोंडेंट के पिता रामा वल्द भगवाना की आई हुई थीं। भूमि के संबंध में अपीलांट के पिता द्वारा अपनी और भूमि मौजा दईपुर में खेत बनाम रेला, खसरा संख्या 344 रकबा 70 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खेत बनाम जोरडा खसरा संख्या 53 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, कुल रकबा 47 बीघा की भूमि दईपुर में स्थित थीं। दोनों भाई आपस में सहखातेदार थें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट के पिता द्वारा एक वाद बाबत बंटवाड़ा, घोषणा व हक खातेदारी न्यायालय में दिनांक 29.11.1981 को इस आशय का पेश किया कि खसरा संख्या 75, 75/1 का विभाजन कर 1/2 हिस्सा अपीलांट के पिता के नाम किया जावें। खसरा संख्या 53 व 344 का विभाजन कर 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रदान की जावें। न्यायालय में अपीलांट के पिता के बयान हुए। मौके से फर्द प्राप्त की गई। रेस्पोंडेंट प्रतिवादी का एकतरफा आदेश हुआ, उसके बाद रिकॉर्ड पर एक राजीनामा पेश हुआ, जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थीं। क्योंकि अपीलांट के पिता की मृत्यु हो चुकी थीं। यह प्रकरण मुकदमा संख्या 06/1982 प्रारंभिक डिक्री दिनांक 17.05.1985 व फाईनल डिक्री दिनांक 05.10.1987 को पारित की गई। उक्त राजीनामा की डिक्री की जानकारी अपीलांट को नहीं थीं क्योंकि अपीलांट के पिता की मृत्यु हो चुकी थीं तथा अपीलांट को मुकदमे के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थीं कि अपीलांट के पिता ने कोई वाद पेश किया हो या कोई राजीनामा पेश किया हों। तत्पश्चात रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में इजराय प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 10, 11 व 35 सीपीसी के तहत पेश किया। यह इजराय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा पारित मुकदमा संख्या 06/1982 फाईनल डिक्री 05.10.1987 की पालना में पेश की गई थीं। उक्त राजीनामा की डिक्री की जानकारी अपीलांट को नहीं थीं। न्यायालय द्वारा उक्त इजराय को दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए। अपीलांट का जवाब होने के बाद बहस सुनी गई। बाद बहस अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया कि सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा पारित निर्णय की डिक्री दिनांक 05.10.1987 की पालना की जावें। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। क्योंकि मूल प्रकरण संख्या 06/1982 में अंतिम डिक्री दिनांक 05.10.1987 को पारित की गई थीं तथा प्रारंभिक डिक्री दिनांक 17.05.1985 को पारित की गई थीं। चूंकि डिक्री राजीनामा के आधार पर थी तथा अंतिम डिक्री पारित हो गई थीं। ऐसी डिक्री में भारतीय मर्यादा अधिनियम आर्टिकल 136 के अंतर्गत इजराय की म्याद अंतिम अंतिम डिक्री अर्थात अपील के निर्णय तक या उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कानूनन 12 वर्ष तक है। जबकि प्रकरण में डिक्रीदार द्वारा इजराय की पालना वर्ष 2015 दिनांक 29.08.2015 को लगाई गई। इस तरह डिक्री की पालना हेतु 28 वर्ष बाद न्यायालय में दरख्वास्त पेश की गई। वर्तमान प्रकरण में अंतिम डिक्री की कोई निगरानी नहीं हुई हैं। इस तरह दिनांक 05.10.1987 की डिक्री ही अंतिम डिक्री है। न्यायालय द्वारा धारा 5 मर्यादा अधिनियम मानते हुए इजराय को समयावधि में माना हैं, जबकि न्यायालय द्वारा यह गलत रूप से धारणा की गई हैं। न्यायालय में फैसले में बताया गया है कि सहायक कलक्टर भीनमाल से सहायक कलक्टर रानीवाड़ा बनने से अपीलांट को इसकी जानकारी नहीं थीं, यह तथ्य गलत है। सहायक कलक्टर भीनमाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का तमाम रिकॉर्ड, तमाम पत्रावली रानीवाड़ा उपखण्ड होने के बाद वहां हस्तांतरण की गई तथा उनका क्षेत्राधिकार रानीवाड़ा बनाया गया। इसलिए यह कहना कि रेस्पोंडेंट को जानकारी नहीं थीं, गलत है। आर्टिकल 136 में विलंब माफ करने का कोई कानूनन प्रावधान नहीं हैं। 12 वर्ष के बाद किसी भी रूप में इजराय पेश नहीं की जा सकती। भारतीय मर्यादा अधिनियम धारा 5 के उपखण्ड 3(ख) लागू नहीं होते अर्थात 12 साल के बाद एक भी इजराय पेश नहीं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अपने फैसले में भू–प्रबंधक की कार्यवाही विचाराधीन होने से तथा अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण इजराय पेश नहीं की, यह गलत है। जो व्यक्ति मुकदमा लड़ता है, उसे पूर्ण रूप से अपने मुकदमे के संबंध में ज्ञान होता है। जहां तक राजस्व रेकर्ड में का सवाल है, वर्ष 1987 से लगाकर वर्ष 2015 तक राजस्व रेकर्ड में वर्तमान खाते की तरह इन्द्राज है तथा रेस्पोंडेंट को यह भलीभांति जानकारी थीं कि अपीलांट की 1/2 हिस्से की खातेदारी है, इसके साथ ही अपीलांट द्वारा इजराय में जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उस जवाब में अपीलांट द्वारा तमाम आपत्तियां पेश की गई थीं, परंतु न्यायालय द्वारा इन आपत्तियों को फैसले में दर्शाया नहीं गया है तथा न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्वक कानून की व्याख्या की गई हैं। उत्तराधिकारी का म्यूटेशन भरने के बाद रेस्पोंडेंट को अपने खाते के संबंध में पूर्णतया जानकारी थीं। न्यायालय द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 20/2015 गलत रूप से दर्ज किया गया। इजराय दर्ज करने से पूर्व विलंब के बिंदु को दर्ज करना आवश्यक था तथा दर्ज करने से पूर्व न्यायालय को दर्ज करने के आधार दर्शाने चाहिए। न्यायालय को म्याद बढ़ाने का अधिकार नहीं हैं। आर्टिकल 136 के अंतर्गत केवल 12 वर्ष की ही म्याद दी गई हैं। अपीलांट के पिता द्वारा कोई राजीनामा तस्दीक नहीं करवाया एवं न ही अपीलांट के वारिसान को इसकी जानकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 26 नियम 13 के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए थीं, आदेश 21 नियम 10 व 11 लागू नहीं होते। बंटवाड़ा के मामले में दरख्वास्त आदेश 26 नियम 13 लागू होती हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण कार्यवाही गलत रूप से विधि में प्रदत्त कानून के विपरीत करते हुए अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2015 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नियम 10 व 11 तथा नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत राजस्व वाद संख्या 06/2022 मावा बनाम रामा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.1987 की पालना करवाने बाबत में पारित आदेश दिनांक 24.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलांट का मुख्य रूप से यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.1987 की पालना कानूनन 12 वर्ष के भीतर करवाना आवश्यक है तथा परिसीमा अधिनियम 1963 के आर्टिकल 136 के अंतर्गत इजराय के लिए डिक्री की दिनांक से 12 साल की अवधि निर्धारित है तथा परिसीमा अवधि की धारा 5 आर्टिकल 136 पर लागू नहीं होती हैं। अर्थात न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की विहित अवधि में इजराय नहीं करवाने के संबंध में विलंबकाल को माफ किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की गलत व्याख्या करते हुए इजराय को समयावधि में माना है, जो गलत व विधिविरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया है कि स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ एनसिलिरी होने से म्याद के प्रावधान डिक्री में लागू नहीं होते हैं। तहसीलदार स्वयं डिक्री में पक्षकार है। अतः तहसीलदार पालना करने के लिए बाध्य है। म्याद का प्रावधान आर्टिकल 137 के अनुसार लागू नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर अंतिम डिक्री बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.10.1987 पारित की। प्रकरण में तहसीलदार बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित है तथा विभाजन की डिक्री में रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की जिम्मेदारी संबंधित तहसीलदार की होती हैं। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 के अनुसार विभाजन के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय संबंधित सहखातेदारान को प्रस्तावित किए जाने वाले खेत खसरा का मौके पर नाप–चौक कर नक्शा एवं प्रस्तावित खसरा बट्टा नंबर आवंटित करते हुए विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। जिसके आधार पर प्रकरण को अंतिम किया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि विभाजन से संबंधित अंतिम डिक्री का स्वरूप वस्तुतः तहसीलदार द्वारा तैयार किये जा रहे विभाजन प्रस्ताव के साथ ही आरंभ हो जाता है तथा मौके पर प्रस्तावित विभाजन अनुरूप सीमाज्ञान, नाप, पृथक खसरा संख्या आवंटन एवं इसके अनुरूप राजस्व नक्शें में संशोधन प्रस्तावित किया जाता है। जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने पर संबंधित तहसीलदार को भू–अभिलेख में अंतिम रूप से अमल दरामद करना होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. यह भी उल्लेखनीय है कि विभाजन की डिक्री में संबंधित तहसीलदार बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित होता है तथा उसके द्वारा ही प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तावित विभाजन व जोत तथा भू–अभिलेख में किये जाने वाले परिवर्तन प्रस्तावित किये जाते हैं। जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकृत करने पर तहसीलदार को अंतिम रूप से भू–अभिलेख में अमल दरामद करना तहसीलदार का कर्तव्य होता है। इसके लिए तहसीलदार किसी पक्षकार से आवेदन किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.1987 की पालना हेतु दिनांक 13.101987 को आदेश मय निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाया जाना अपीलाधीन निर्णय में अंकित है, जिसका रेस्पोंडेंट द्वारा कोई साक्ष्य के साथ खण्डन नहीं किया है। इससे यह विश्वास किया जा सकता है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 05.101987 की पालना तहसीलदार के स्तर पर लंबित थीं। इसके लिए किसी पश्चातवर्ती इजराय आवेदन आदि की आवश्यकता नहीं थीं। लेकिन संबंधित तहसीलदार द्वारा भू–अभिलेख में अमल दरामद नहीं करने के कारण रेस्पोंडेंट्स को अंतिम विकल्प के रूप में डिक्री की पालनार्थ अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन करना पड़ा, जिसकी हमारे विनम्र मत में कोई आवश्यकता ही नहीं होती, यदि संबंधित तहसीलदार तत्समय ही उक्त निर्णय व डिक्री का भू–अभिलेख में अमल दरामद कर देता। यह भी उल्लेखनीय है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.1987 केवल विभाजन से संबंधित नहीं होकर विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित थीं तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री की पालना के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित करने में सफल नहीं रहे हैं तथा अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली